सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 28 सितम्बर, 2011

आश्विन 6, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग—5

संख्या—2877/1-6-2011-153/2011-रा0-5

लखनऊ, 29 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

प0आ0—516

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू0पी0 अधिनियम संख्या–3 सन् 1901) की धारा 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर जारी की गयी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पंचशील नगर नामक एक नया जिला सृजित करते हैं, जिसमें जिला गाजियाबाद की वर्तमान तहसील हापुड़ एवं गढ़मुक्तेश्वर के समस्त क्षेत्र समाविष्ट होंगे, जिसका मुख्यालय हापुड़ होगा और उक्त दिनांक से वर्तमान जिला गाजियाबाद की सीमाओं को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं जिससे कि नवसृजित जिला पंचशील नगर में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर शेष वर्तमान क्षेत्र उसमें समाविष्ट होंगे।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

के0 के0 सिन्हा,

प्रमुख सचिव।